राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1231/2025

मुकेश भारद्वाज

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं शासन उप सचिव II ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समदड़ी, जिला बालोतरा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखरात तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ग्राम सेवक के पद पर दिनांक 20.11.99 को सिवाना जिला बाडमेर में हुई थी। वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी का कार्य एवं व्यवहार सदैव उत्कृष्ट रहा है। अपीलार्थी के कार्य के प्रति कोई शिकायत कभी भी नहीं रही है। प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 11.01.2025 जारी किया गया। उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति समदडी बाड़मेर दर्शाते हुए पंचायत समिति गिडा बाडमेर कर दिया गया। आदेश दिनांक 11.01.25 में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–15 पर अंकित है। (अनुलग्नक–1) आदेश दिनांक 11.01.25 बिना मस्तिष्क का उपयोग किये जारी किया गया है। आदेश दिनांक 11.1.25 में अपीलार्थी का पदस्थापन गलत दर्शाया गया है। उक्त आदेश में अपीलार्थी का पदस्थापन

पंचायत समिति समदडी जिला बाडमेर दर्शाया गया है। जो कि अनुचित एवं गलत है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर बालोतरा को नया जिला घोषित किया जा चुका है। बालोतरा नया जिला बनाये जाने के उपरांत बालोतरा के अधीन आने वाली तहसीले एवं पंचायत समिति का भी निर्धारण किया जा चुका है। पंचायत समिति समदडी जिला बालोतरा के अधीन आती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी नरेश कोली बनाम राज्य सरकार व अन्य में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि किसी स्थानान्तरण आदेश में पदस्थापन स्थान गलत दर्शाया गया है तो उक्त आदेश बिना मस्ष्तिक का उपयोग किये जारी किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी पिता का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलार्थी की वृद्ध माता जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष है एवं अपीलार्थी पर आश्रित है। जिनकी देखरेख की समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति गिडा लगभग 200 कि.मी. दूर किया जाना अनुचित एवं अयुक्तियुक्त है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा नरेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें गलत पदस्थापन स्थान दर्शित करने के आधार पर स्थानान्तरण आदेश अपास्त किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 11.01.25 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति समदड़ी जिला बालोतरा में ही निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 11.01.2025 को चुनौती दी है। जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति समदडी (बाड़मेर) से पंचायत समिति गिडा बाडमेर में किया गया है। अपीलार्थी सहायक विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर अप्रैल 2022 से पदस्थापित है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन आलौच्य आदेश में पंचायत समिति समदड़ी (बाड़मेर) दिखाया गया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा नये जिले गठित किये जाने के पश्चात पंचायत समिति समदड़ी जिला बालोतरा में आती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क के प्रयोग किए अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान सही अंकित नहीं कर आलौच्य आदेश जारी किया है। जिसकों इस अपील में अपास्त कर अपीलार्थी को यथावत पदस्थापित रखो जाने का अनुतोष चाहा है।

प्रस्तुत अपील में हम यह पाते है कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन पंचायत समिति समदड़ी में है एवं आलौच्य आदेश में पंचायत समिति समदड़ी अंकित है। यह सही है कि जिला पुर्नगठन के पश्चात पंचायत समिति समदड़ी जिला बालोतरा में आती है। पहले यह जिला बाडमेर में था। परंतु आदेश में पदस्थापन पंचायत समिति समदड़ी अंकित होने से

आदेश में पूरी स्पष्टता है एवं आलौच्य आदेश से यह स्पष्ट समझ आता है कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान कहां पर है। टंकण त्रुटि से जिला बाड़मेर अंकित हो जाने से मात्र से आदेश में कोई त्रुटि नहीं हो जाती है। नरेश कोली के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न है क्योकि नरेश कोली के प्रकरण में पदस्थापन स्थान ही त्रुटिपूर्ण था।

अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर निस्तारित किया जाता है।

(लेखरात तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य